न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.03.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :12 / 2024

निर्णय दिनांक : 09.03.2024

जीसीएमएस संख्या– 2024 / 12 दायर दिनांक – 29.01.2024

लिछमण सिंह पुत्र राधाकिशनसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, आर टी एक्ट

व धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग का खेत खसरा संख्या 308 तादादी 19.6124 हैक्टेयर रोही ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसका वर्तमान खाता संख्या 309 हैं, जिसमें वादी का नाम राजूसिंह पुत्र राधाकिशनसिंह अंकित है जबकि रोही ग्राम रणधीसर के खाता संख्या 314 में खेत खसरा संख्या 199 तादादी 3.1739 हैक्टेयर, खसरा संख्या 455 तादादी 5.4373 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490 तादादी 1.2518 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493 तादादी 4.9442 हैक्टेयर, खसरा संख्या 500 तादादी 5.5005 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 20.3077 हैक्टेयर में वादी का नाम लिछमणसिंह पुत्र राधाकिशनसिंह सही अंकित है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी जनआधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम लिछमण सिंह पुत्र राधाकिशनसिंह ही दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादी का खेत रोही आबसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण वाद का

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 16:41:30 IST
Reason: SelfAttested

9.3.24
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

9/3/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में वादी का नाम राजूसिंह पुत्र राधाकिशन दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम लिछमणसिंह पुत्र राधाकिशन दर्ज है। राजूसिंह व लिछमणसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजूसिंह पुत्र राधाकिशन के स्थान पर लिछमणसिंह पुत्र राधाकिशन किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राशन कार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम लिछमणसिंह पुत्र राधाकिशन अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 308 रकबा 19.6124 हैक्टेयर वाके रोही आबसर तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार राजूसिंह पुत्र राधाकिशनसिंह जाति पुरोहित निवासी रणधीसर खातेदार के स्थान पर लिछमणसिंह पुत्र राधाकिशनसिंह जाति पुरोहित निवासी रणधीसर खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

9/3/24

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

9.3.24

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:30 IST
Reason: SelfAttested

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़